प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2013 को आहूत नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

सर्वश्री

1. राकेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2. अनूप कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. हरि शंकर भट्ट, अनु सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. दीपक यादव, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ।
5. वायलिम दुबे, अधिशासी अभियन्ता, एस0डी0ए0, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. एस0सी0 श्रीवास्तव, एस0ई0, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. आर0पी0 सिंह, एस0ई, एस0डी0ए0, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अशोक कुमार, एस0ई0–2, लेसा, लखनऊ।

जे0एन0एन0यू0 आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के अनुसार भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत नागर निकाय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट पर विद्युत मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है तथा इस कार्य पर लागत का 70 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी एवं उक्त कार्यवाही माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। प्रकरण में दिनांक 26.06.2012 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक नागर निकाय द्वारा नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली, जिन स्थानों पर विद्युत मीटर (आटो–टाइमर युक्त) लगाया जाना उपयुक्त होगा, का सर्वेक्षण (जिसमें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्थानीय/नोडल अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है) एक माह के अन्दर कराते हुये चयनित स्थलों की सूची उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्थानीय कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाय। चयनित स्थलों पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा 02 माह के अन्दर विद्युत मीटर (आटो–टाइमर युक्त) लगाया जायेगा। विद्युत मीटर (आटो–टाइमर युक्त) की आपूर्ति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा की जायेगी। उक्त निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 07.08.2012 द्वारा

निदेशक, स्थानीय निकाय एवं समस्त नागर निकायों को कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये ।

(कायवाही–निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 एवं समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 एवं समस्त नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत)

2. प्रकरण में नगर आयुक्त, गोरखपुर के अतिरिक्त अन्य निकायों एवं निदेशक, स्थानीय निकाय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नगर आयुक्त, गोरखपुर द्वारा कुल 696 स्थलों की सूची विद्युत विभाग को भेज दी गई है, किन्तु अभी तक विद्युत विभाग द्वारा उक्त पर कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की गई। बैठक में यू0पी0पी0सी0एल0 के प्रतिनिधि को उक्त सूची के आधार पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कायवाही–निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 , नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0)

3 निदेशक, स्थानीय निकाय एवं समस्त नागर निकायों को नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 07.08.2012, के अनुपालन की कार्यवाही की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। अतएव निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को यह निर्देश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर अपने स्तर पर एक बैठक निकाय के अधिकारियों के साथ आयोजित करके शासनादेश दिनांक 07.08.2012 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में स्थल चयन की सूची उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये ।

(कायवाही–निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में चयनित स्थलों की सूची यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध करा दें तथा विद्युत मीटर की लागत का आगणन तैयार कराकर धनराशि की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

(कायवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0).

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सी0बी0 पालीवाल
प्रमुख सचिव।

hguo-1

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1514/9–9–2010–85ज/2009टीसी
लखनऊः दिनॉक 09 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/गोरखपुर।
5. गार्ड फाइल। (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)

आज्ञा से,

(आर0एन0 सिंह)
उप सचिव।

hguo-1